दिवाला और दिवालियापन संहिताएस. 7-सीमा-एस के अंतर्गत एक आवेदन।7 संहिता का किसी भी बंधक दायित्व को लागू करने के लिए एक आवेदन होने का तात्पर्य नहीं है-यह एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया गया एक आवेदन है जिसमें कहा गया है कि संहिता के अंतर्गत परिभाषित एक चूक की गई है, जो डिफ़ॉल्ट राशि रु। 1,00,000-या उससे अधिक जो तब संहिता के आवेदन को सक्रिय करता है-IBC संहिता के लागू होने की तारीख संहिता के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिए सीमा का एक ट्रिगर बिंदु नहीं है और न ही बना सकती है-समान रूप से, क्योंकि "आवेदन" वे याचिकाएं हैं जो संहिता के अंतर्गत दायर की जाती हैं, यह सीमा अधिनियम का Art.137 है जो ऐसे आवेदनों पर लागू होगा-अपील के अंतर्गत निर्णय को अलग कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए प्रेषित किया जाता है-सीमा अधिनियम-Art.137।बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग

/

/

/

गुप्ता एंड एसोसिएट्स 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1921-पर भरोसा किया।

संदर्भित निर्णय

2018 एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1921** पैरा **1** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.7673

/

2019

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 177 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश से

/

मुकुल रोहतगी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, हिमांशु सतीजा, शादाब जान, सुश्री कोमल खुशालानी, अर्शित आनंद, ई. सी. अग्रवाल, निशांत राव, दिव्यांग गोविंद चंडीरामानी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

974 ए.

975

सागर शर्मा और ए. एन. आर.PHOENIX ARC PVT। लिमिटेड।

राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुरेश दत्त डोभाल, निर्मल गोयनका, कुणाल वाजानी, कुणाल मिमानी, वरुण आहूजा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज में हमारे दिनांकित 11.10.2018 निर्णय के अनुसार

/

प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2018 एससीसी ऑनलाइन)

एस. सी. 1921 पैराग्राफ 2,20,38,43,48 और 49) हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि दिवाला और दिवालियापन संहिता का 01.12.2016 पर लागू होना संहिता के उद्देश्यों के लिए किसी भी सीमा अवधि को शुरू करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है।तथापि, हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्णय में निम्नलिखित कथन किया गया है:

/

“13. मान लीजिए, 'आई एंड बी कोड' 1 दिसंबर, 2016 से लागू हो गया है, इसलिए 1 दिसंबर, 2016 को प्रथम प्रतिवादी को आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।इसलिए, हम मानते हैं कि धारा 7 के अंतर्गत आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। "2. हमने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि संहिता की धारा 7 के अंतर्गत दायर किए जाने वाले आवेदनों के लिए सीमा

अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होगा।हालाँकि, हम आक्षेपित निर्णय में पाते हैं कि अनुच्छेद 62 (गलती से अनुच्छेद 61 कहा गया) को वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित किया गया था, यह देखते हुए कि इस मामले में पक्षों के बीच बंधक का एक विलेख था जिसे निष्पादित किया गया था।हम यह इंगित कर सकते हैं कि संहिता की धारा 7 के अंतर्गत एक आवेदन किसी भी बंधक दायित्व को लागू करने के लिए एक आवेदन नहीं है।यह एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया गया एक आवेदन है जिसमें कहा गया है कि एक चूक, जैसा कि संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो कि रु। 1,00,000-(एक लाख) या उससे अधिक जो तब इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा निर्धारित किए गए तय किए गए सिद्धांतों पर संहिता के अनुप्रयोग को प्रेरित करता है।

/

/

/

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि हमारे निर्णयों का अक्षरशः पालन किया जाता है।आई. बी. सी. संहिता के लागू होने की तारीख संहिता के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिए सीमा का कारण नहीं बनती है और न ही हो सकती है।समान रूप से, चूंकि "आवेदन" वे याचिकाएं हैं जो संहिता के अंतर्गत दायर की जाती हैं, इसलिए यह सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 है जो ऐसे आवेदनों पर लागू होगा।

/

4. तदनुसार, हम अपील के अंतर्गत निर्णय को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि मामले को नए सिरे से निर्धारित किया जाए।यह दोनों पक्षों के लिए खुला रहेगा

/

976

/

[2019] 14 एस सी आर।

/

तथ्यों के आधार पर मामले का तर्क दें कि केवल सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होगा।

5. अपील की अनुज्ञात उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

6. एन. सी. एल. टी. के दिनांकित 29.01.2019 आदेश पर एन. सी. एल. ए. टी. के अगले आदेश तक रोक रहेगी।

/

7. वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष सीमा अधिनियम की धारा 22 के आधार पर एक याचिका दायर करना चाहते हैं। हम इस कथन को दर्ज करते हैं।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/